आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
11/05/18	**जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं०–111/2014–15** **रूपेश रंजन** **बनाम** **मंटु राय बगैरह** आवेदक श्री रूपेश रंजन, पिता–श्री मनीन्द्र नारायण वर्मा, ग्राम–कल्याण, थाना–बनियापुर, जिला–सारण सम्प्रति वरदान, कल्याण उत्सव पैलेस के बगल में मंदिर मार्ग, पश्चिमी आनन्दपुरी, पटना के द्वारा विपक्षी मन्टु राय एवं अन्य के नाम से पटना सदर अंचल अंतर्गत मौजा–दीघा थाना नं0–1, खाता नं0–1434, खेसरा नं0–819, रकवा–54 1/2 डी0 के लिए कायम जमाबंदी सं0–21931 को रद्द करने हेतु दायर किया गया है। वाद की सुनवाई के क्रम में विपक्षीगण के द्वारा बताया गया कि विवादित खेसरा नं0–819 को लेकर पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–20319/2016 मुन्द्रिका चौधरी एवं अन्य बनाम सरकार एवं अन्य दायर है। उक्त सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–20319/2016 में दिनांक–13.02.2017 को माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करते हुए विवादित प्लॉट में यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के उसी आदेश के आलोक में अपर समाहर्त्ता, पटना के न्यायालय में चल रहे जमाबंदी रद्द वाद सं0–113/2014–15 सुदामा चौधरी बनाम मन्टु राय एवं अन्य की कार्यवाही दिनांक–12.08.17 के आदेश से स्थगित कर दी गयी है। विपक्षीगण के द्वारा इस वाद की कार्यवाही भी माननीय उच्च न्यायालय से अंतिम आदेश पारित होने तक स्थगित रखने का अनुरोध किया गया। सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–20319/2016 मुन्द्रिका चौधरी एवं अन्य बनाम सरकार एवं अन्य की रिट याचिका एवं पारित आदेश का अवलोकन किया। प्रश्नगत सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–20319/2016 में खेसरा सं0–819 सन्निहित है। इस याचिका में समाहर्त्ता, पटना की तरफ से भी दिनांक–13.12.17 को प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–13.02.17 को आदेश पारित करते हुए विवादित खेसरा पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया गया है। दिनांक–13.02.17 के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त परिस्थिति में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–20319/2016 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक इस वाद की कार्यवाही स्थगित की जाती है। लेखापित एवं संशोधित ह0/- 31/5/18 (वज़ैन उद्दीन अन्सारी) अपर समाहर्त्ता, पटना ह0/- 31/5/18 (वज़ैन उद्दीन अन्सारी) अपर समाहर्त्ता, पटना	